

प्रेस-नोट
थाना बडागांव

दिनांक- 24.12.2024

नाजायज छुरी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के क्रम में नाजायज छुरी के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडागाँव पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.12.2024 को गस्त के दौरान थाना बडागांव पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन पुत्र कालू निवासी मुहल्ला गांधीनगर वार्ड नं0 11 कस्बा व थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात हाल पता ग्राम बराटा थाना बडागांव जिला झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष को एक छुरी नाजायज सहित बराटा कट से डायमण्ड तिराहे की तरफ करीब 150 कदम की दूरी पर गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना बडागाँव पर मु0अ0सं0 382/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पवन पुत्र कालू निवासी मुहल्ला गांधीनगर वार्ड नं0 11 कस्बा व थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात हाल पता ग्राम बराटा थाना बडागांव जिला झाँसी उम्र करीब 26 वर्ष

बरादमगी -

01 अदद छुरी नाजायज

गिरफ्तार का स्थान व समय- बराटा कट से डायमण्ड तिराहे की तरफ करीब 150 कदम की दूरी पर वहद ग्राम बराटा थाना बडागांव जिला झाँसी फासला करीब 04 कि0मी0 पूरब, दिनांक 24.12.2024 समय 07.30 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1- श्री प्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना बडागांव जनपद झाँसी।
- 2- उ0नि0 दामोदर सिंह चौकी प्रभारी पारीछा थाना बडागांव जनपद झाँसी।
- 3- हे0का0 156 पुष्पेन्द्र कुमार थाना बडागांव जनपद झाँसी।
- 4.का0 05 सत्यम मिश्रा थाना बडागांव जनपद झाँसी।